बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

पटना, कैमूर,रोहतास, मुंगेर, भागलपुर सहित राज्य के 20 जिला की लगभग 250 एकड़ खासमहल की जमीन की जानकारी राजस्व विभाग को नहीं मिल रही है। ये जमीन 30 साल के लिए सम्मानित व्यक्तियों को आवासीय उपभोग के लिए प्रबंधन द्वारा लीज पर दिया गया है, लेकिन 30 वर्ष गुजरने के बाद भी पटना जिला में लगभग 500 एकड़ जमीन की बंदोवस्ती का नवीकरण नहीं करने से उक्त जमीन का अता-पता नहीं चल रहा है और लीजधारक द्वारा नियमों के शर्तों का उल्लंघन कर आवासीय जमीन का व्यावसायिक उभोग कर रहे हैं, फलत: सरकार को राजस्व की क्षति हो रही है फिर भी विभाग मौन हैं।

अत: मैं सरकार से इस मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने,जमीन माफियाओं के क्रिया-कलापो पर अंकुश लगाने एवं जिम्मेवार एवं अधिकारियों पर त्वरित कार्रवाई करने हेतु सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- प्रो. नवल किशोर यादव
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-57/2018 – 456(1) वि.प.। दिनांक- 27.02.2018

प्रतिलिपि:- विहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-07.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 27.02.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना लागू की गई है, जो सरकार की अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना है इसका उद्देश्य आधारभूत संरचना के विकास के साथ-साथ सामान्य नागरिक सुविधा राज्य की जनता तक पहुंचाना है, किन्तु पदाधिकारियों की उदासीनता के कारण यह योजना अपने लक्ष्य से पीछे है। पटना नगर स्थित अखिलेशनगर पश्चिमी भाग रोड नं.-2 के निवासी होल्डिंग टैक्स के भुगतान करने के बावजूद सामान्य नागरिक सुविधा से वंचित हैं। सिटी अंचल नगर निगम को 33 (तैंतीस) करोड़ की राशि वित्तीय वर्ष - 2017-18 के लिए आवंटित हुआ। परन्तु सड़क एवं नाली निर्माण नहीं हो सका है। नल का जल कमलदह पथ के उत्तरी मुहल्ले तक ही सीमित है।

अत: मैं सामान्य नागरिक सुविधाओं का यथाशीघ्र समाधान करने हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- दिलीप कुमार चौधरी
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-54/2018 – 457 (1) वि.प.। दिनांक- 27.02.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-07.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

(नवल किशोर सिंह) 27.02.2018
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

बिहार में भूमि विवाद के निवारण के लिए राज्य सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण जो 1 अप्रील, 2016 से लागू है, जो डिजीटल भारत अभियान का एक अंग भी है। जिसमें दाखिल खारिज,भूमि का मौजूदा सभी दस्ताबेज का कम्प्युटरीकरण, नक्शा का डिजिटलीकरण, सर्वे/ रि-सर्वे, टलमेंट रिकॉर्ड को उद्यतन करना, रजिस्ट्रेशन का कम्प्युटिरीकरण आदि कार्यो को संपादित किया जाना है।

अत: उक्त कानून के लागू के होने के उपरांत अबतक जमीन के रिकॉर्ड का कम्प्युटरीकरण, रिकॉर्ड एवं राईस का प्रगती, नक्शा का डिजिटलीकरण एवं सर्वे की स्थिति के संबंध में सरकार से सदन में स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- नीरज कुमार
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-56/2018 - 454(1) वि.प.। दिनांक- 27.02.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक- 07.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 27.02.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्

बिहार विधान परिषद्

ध्यानाकर्षण

माननीय सभापति महोदय,

वैशाली एवं मुज्जफ्फरपुर जिला अन्तर्गत खासमहल एवं जिला परिषद् की जमीन पर अवैध कब्जा कर निजी विद्यालय, व्यवसायिक प्रतिष्ठान एवं आवासीय परिसर का निर्माण कर लिया गया है। कब्जाधारी व्यक्तियों के खिलाफ प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इससे आम जनता का विश्वास प्रशासनिक तंत्र से उठता जा रहा है।

अत: वैशाली एवं मुज्जफ्फरपुर जिला अन्तर्गत खासमहल एवं जिला परिषद् की जमीन को अवैध कब्जाधारियों से मुक्त कराने के संबंध में सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।

ह./- सुबोध कुमार
स.वि.प.

ज्ञापांक- वि.प.अ.प्र-55/2018 - 455(1) वि.प.। दिनांक- 27.02.2018

प्रतिलिपि:- बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण, बिहार/ मुख्य सचिव,बिहार/ संसदीय कार्य विभाग,बिहार/ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार/ प्रश्न शाखा/ निवेदन शाखा एवं विधेयक शाखा,बिहार विधान परिषद् को सूचनार्थ (एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु) प्रेषित।

2. माननीय सदस्य दिनांक-07.03.2018 को बिहार विधान परिषद् में सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे।

3. (-) केवल संबंधित विभाग के लिए।

नवल किशोर सिंह 27.02.2018
(नवल किशोर सिंह)
अवर सचिव
बिहार विधान परिषद्